न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 54/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोहनसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर		सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से उप०

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18.12.17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 970/2016 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 भाखर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 16.09.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 27.12.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नही की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नही ? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये तथा न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रदर्शित हुए। अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी उसे माना जाता है, जिसके विरूद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला हो। अपीलाण्ट के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नही चला था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। खसरा नम्बर 844 की भूमि, जिसके भाग पर अपीलाण्ट का कब्जा बताया गया है, उस सम्पूर्ण भूमि में आबादी बस चुकी है, लोगों के पक्के मकानात स्थित है, जिसमें विद्युत व पानी के कनेक्शन लिये गए है। इस प्रकार प्रकरण नियमितिकरण योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपनाई गई

प्रक्रिया की कोई समीक्षा नही की तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिसे निरूद्ध रखा जाता है, तो उसके परिवार की दुर्दशा हो जायेगी। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 भाखर की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 भाखर की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का खिवान्दी द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोहनसिंह गुलाबसिंह कौम राजपूत द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट के कुटुम्ब के सदस्य से तामील करवाया गया है, जिसे विधिवत तामील मानते हुए चार बार पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्यक रूप से उपस्थित ही नही हुआ तथा न ही किसी प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 970/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली